ताइवान का रिकॉल वोट: राजनीतिक जवाबदेही के तहत

प्रासंगिकता: **GS पेपर 2 – शासन, संविधान और राजनीति**

संदर्भ

- हाल ही में ताइवान में एक*रिकॉल चुनाव* हुआ, जिसमें **24 कुओमिन्तांग (KMT) विधायकों** को विधायी युआन से हटाने की कोशिश की गई। पहले दौर में सभी विधायक अपनी सीट बचाने में सफल रहे क्योंकि मतदाताओं ने उनको हटाने का फैसला नहीं किया। दूसरा दौर अगस्त में होगा, जिसमें मुख्य फैसले लिए जा सकते हैं, विदित है कि KMT पर चीन से सहयोग के आरोप लगे हैं।

AS-PCS Institute

रिकॉल की पृष्ठभूमि और ब्लूबर्ड मूवमेंट के प्रयास

- **ब्लूबर्ड मूवमेंट 2024** में शुरू हुआ, जब विपक्ष ने DPP के विधेयकों और विवादित कानूनों को रोकने का प्रयास किया।
- **पहले दौर का रिकॉल 25% समर्थन** जुटाने में विफल रहा। DPP को बहुमत के लिए 6 KMT सीटों की ज़रूरत है, और अब जल्द ही दूसरा दौर होने वाला है।
- रिकॉल की शुरुआत KMT द्वारा ऐसे विवादास्पद बिल लाने से हुई, जिनसे न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ कमजोर हो गई और विधायिका को अत्यधिक शक्तियाँ मिल गई।
- मई 2024 में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन में **लगभग 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया**, जिसमें ताइवान के संविधान के उल्लंघन का विरोध किया गया।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

रिकॉल वोट क्या है?

- **रिकॉल वोट एक प्रक्रिया है**, जिसके तहत नागरिक किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटा सकते हैं। इसमें सामान्यत: याचिकाकर्ता कोमतदाताओं का वोट और निश्चित प्रतिशत समर्थन की शर्तें होती हैं।

ताइवान में रिकॉल प्रक्रिया:

  - **चरण 1:**मतदाताओं के कम से कम 1% द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।
  - **चरण 2:**मतदाताओं के 10% का समर्थन।
  - **चरण 3:**क्षेत्र के 25% योग्य मतदाताओं का समर्थन अनिवार्य।

- इस रिकॉल याचिका में आरोप लगाया गया कि **KMT विधायक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं** और बिना उचित प्रक्रिया के बिल पारित कर रहे हैं।
- इसके बावजूद, पहले दौर में सभी **24 KMT विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में बहुमत पाकर पद पर बने रहे।**

भारत में रिकॉल का अधिकार

- भारत में *रिकॉल का अधिकार* 1970 के दशक से चर्चा में है, जब प्रमुख नेता **जयप्रकाश नारायण** ने लोकतंत्र में सुधार के प्रयास के तहत इसका समर्थन किया था। उनका मानना था कि इससे जनता को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का अधिकार मिलेगा।
- कुछ राज्यों जैसे **मध्य प्रदेश** और **छत्तीसगढ़** में पंचायत चुनावों में इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पंचायत प्रतिनिधियों को जनता उनके खराब प्रदर्शन पर हटाने की शक्ति रखती है।
- भारतीय राजनीति में यह विषय अभी भी बहस का मुद्दा है। इसके समर्थक इसे ***प्रत्यक्ष लोकतंत्र* का माध्यम मानते** हैं, जबकि आलोचक इसके दुरुपयोग की संभावना की चेतावनी देते हैं।

IAS PCS Institute

भारत में रिकॉल के अधिकार के फायदे और नुकसान

फायदे (Pros)	नुकसान (Cons)
जवाबदेही बढ़ाता है: यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति हमेशा जवाबदेह रहें।	**दुरुपयोग की संभावना:** राजनीतिक बदले या व्यक्तिगत शिकायतों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
नागरिकों को सशक्त बनाता है: मतदाताओं को अधिकार देता है कि वे कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को हटा सकें।	**राजनीतिक अस्थिरता का खतरा:** बार-बार रिकॉल से शासन और नीतिनिर्माण बाधित हो सकते हैं।
पारदर्शिता को बढ़ावा देता है: प्रतिनिधियों को जनता के हित में काम करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे रिकॉल से बच सकें।	**प्रशासनिक चुनौतियाँ:** रिकॉल प्रक्रिया जटिल, समय लेने वाली और संसाधन-प्रधान हो सकती है।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

पंचायत स्तर पर *रिकॉल का अधिकार* वाले राज्य

- **उत्तर प्रदेश (1947):** ग्रामसभा के सदस्य **सरपंच के खिलाफ *अविश्वास प्रस्ताव*** ला सकते हैं।
- **उत्तराखंड (2011):** सरपंच और पंचायत सदस्यों को हटाया जा सकता है, अगर कम से कम 50% मतदाता याचिका दें।
- **झारखंड (2001):** सरपंच और पंचायत सदस्य हटाए जा सकते हैं, अगर 50% मतदाता याचिका पर हस्ताक्षर करें।
- **मध्य प्रदेश (2001):** सरपंच और पंचायत सदस्यों को ढाई साल पद पर रहने के बाद हटाया जा सकता है।
- **छत्तीसगढ़ (2001):** सरपंच और पंचायत सदस्य हटाए जा सकते हैं, अगर 50% मतदाता याचिका दें।
- **महाराष्ट्र (2017):** सरपंच को दो साल पूरे होने के बाद *अविश्वास प्रस्ताव* से हटाया जा सकता है।
- **हिमाचल प्रदेश (2000):** सरपंच और पंचायत सदस्य हटाए जा सकते हैं, अगर 50% मतदाता याचिका दें।
- **पंजाब (1994):** ग्रामसभा के *अविश्वास प्रस्ताव* से सरपंच को हटाया जा सकता है।
- **हरियाणा (2020):** सरपंच और पंचायत सदस्य हटाए जा सकते हैं, अगर 50% मतदाता याचिका पर हस्ताक्षर करें।

नगर निगम स्तर पर रिकॉल का अधिकार वाले राज्य

- **मध्य प्रदेश (2001):** नगर निगम सदस्य हटाए जा सकते हैं, अगर 50% मतदाता याचिका दें।
- **छत्तीसगढ़ (2001):** नगर निगम सदस्य हटाए जा सकते हैं, अगर 50% मतदाता याचिका दें।
- **बिहार (2006): नगर निगम सदस्य हटाए जा सकते हैं, अगर 50% मतदाता याचिका दें।**
- **झारखंड (2001): नगर निगम सदस्य हटाए जा सकते हैं, अगर 50% मतदाता याचिका पर हस्ताक्षर करें।**
- **राजस्थान (2009): नगर निगम सदस्य हटाए जा सकते हैं, अगर 50% मतदाता याचिका दें।**

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न:भारत में *रिकॉल के अधिकार* के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रिकॉल का अधिकार नागरिकों को यह शक्ति देता है कि वे निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटा सकें।
2. भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) के लिए रिकॉल का अधिकार लागू कर दिया है।
3. भारत के कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में पंचायत और नगर निकाय स्तर पर रिकॉल का अधिकार लागू किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A) केवल 1 और 2

B) केवल 2 और 3

C) केवल 1 और 3

D) 1, 2 और 3

उत्तर: C) केवल 1 और 3

मेन्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न:

"भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर रिकॉल के अधिकार के प्रभावों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसके संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा राष्ट्रीय स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने की व्यवहारिकता का मूल्यांकन कीजिए।"

(15 अंक, 250 शब्द)

IAS-PCS Institute

Result Mitra